B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)

BA (Hons) Part - II पेपर - IV

Date 22, 3, 20

Page

Dr. Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

संविधान के तत्व

उपर्युक्त परिभाषाओं पर दृष्टिपात करने पर जो तत्व उभरकर सामने आते हैं वे निम्न प्रकार हैं—

(1) संविधान प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक → संविधान प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है चाहे वह निरंकुशतंत्र हो या प्रजातंत्र, चाहे वह राजतंत्र हो या कुलीनतंत्र चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली का हो या संसदीय प्रणाली का।

(2) संविधान राज्य के स्वरूप और उद्देश्य बताता है → संविधान यह निर्धारित करता है कि राज्य का स्वरूप क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? ये दोनों बातें संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त की गई होती हैं।

(3) शासन के अंगों के संगठन व उनकी शक्तियों की व्याख्या → प्रत्येक संविधान में शासन के अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के संगठन व उनकी शक्तियों का उल्लेख कर दिया जाता है।

(4) राज्य की सम्प्रभुता का निवासस्थान → संविधान द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि प्रभुसत्ता का निवास कहाँ होगा और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा।

(5) नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण → लिखित संविधानों में नागरिक के मौलिक अधिकार की घोषणा और उनके उपयोग की गारण्टी दी जाती है। अलिखित संविधान में इनकी सुरक्षा अभिसमयों द्वारा होती है।

(6) संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन → भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान बन सके, इसके लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में होता है।

Scanned with CamScanner